भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *39

उत्तर देने की तारीख: 08.12.2022

नई रोशनी योजना

***39. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई रोशनी योजना के तहत, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में, समुदाय-वार प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) योजना के तहत लाभार्थियों के चयन की पात्रता और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के तहत केंद्र बनाने के लिए संगठन/एजेंसी के चयन के लिए मानदंड क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

"नई रोशनी योजना" के संबंध में श्री सय्यद ईमत्याज जलील द्वारा पूछे गए एवं दिनांक 08.12.2022 के उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *39 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2021-22 के दौरान भारत में लगभग 40 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें महाराष्ट्र में 550 महिलाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य में प्रशिक्षित महिलाओं का पिछले तीन वर्षों का समुदाय-वार विवरण इस प्रकार है:-

मुस्लिम -277, ईसाई -43 सिख -1 बौद्ध -215, जैन -1 और गैर अल्पसंख्यक -13 ।

(ख) मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एजेंसियां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित सभी अल्पसंख्यकों अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी (पारसी) और जैन समुदाय की महिलाओं का चयन करती है। योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए चयन में ऐसे लाभार्थियों को वरीयता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। एजेंसियां महिला प्रशिक्षुओं की पहचान/चयन हेतु ग्राम पंचायत /नगरपालिका निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के मुखिया की भी सहायता लेती हैं।

(ग) इस योजना के तहत मंत्रालय द्वारा कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। चयनित एजेंसियों को उस इलाके/गाँव/क्षेत्र में जहाँ प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, अपने संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से सीधे परियोजनाओं को लागू करना आवश्यक है। महाराष्ट्र राज्य में, एजेंसियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नागपुर, ठाणे और अमरावती जिलों में इस योजना को लागू किया है।

(घ) इस योजना के तहत संगठन/एजेंसी के चयन के लिए पात्रता मानदंड <http://nairoshni-moma.gov.in> पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2022-23 से नई रोशनी योजना को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है जिसका उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा और नेतृत्व, प्रशिक्षण के माध्यम से अल्पसंख्यकों विशेषकर कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार लाकर उनके उद्यमिता हस्तक्षेप में सहयोग करना है।

******